

फर्द अहकाम

पञ्जाबी बंधु बनाम नरना देवी

नाम न्यायालय


केस संख्या

272/24

बाल्य

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

| क्र. संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही |
|-------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | | <p>दिनांक 23/3/2022 एवं अन्तिम डिडी व निर्णय दिनांक 12/01/2024 को विस्तृत करवाने की इच्छा की है न्यायालय द्वारा उक्त वाद में मिन्न-मिन्न निर्णय व डिडी पारित किये गये हैं, जिसमें प्रार्थना/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुनर्विचार की गई है जो विधि के प्रावधानों के अनुसार संधारण योग्य नहीं होने से स्वीकार्य योग्य है अतः प्रार्थना का ORISOPC का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से स्वीकार किया जाता है तथा इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दि. 21/9/2024 को स्वीकार किया जाता है। पञ्जाबी नम्बर से कागदों का काट तथा गिरावट दस्तावेज</p> <p style="text-align: right;">  लक्ष्मण अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p> | |